फर्द अहकाम

राजस्व प्रकरण संख्या 332/2015 अनवान राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली
बनाम रामेश्वरलाल वगैरा अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
17-4-2018	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी पेराकार सरकार उपस्थित। वकील अप्रार्थी श्री कैलाश कुमावत उपस्थित। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् प्रश्नगत् प्रकरण में यह जाहिर हैं कि अप्रार्थी अधिवक्ता श्री कैलाश कुमावत द्वारा बहस में अपने जबाव के तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी जा रही हैं कि बीजापुर स्थित भूमि खसरा नंबर 1740 रकबा 0.40 हैक्टर हमारे सामुहिक था। जिसे सभी सह खातेदारो द्वारा हनुमान पुत्र शंकर को बेचान कर देने से नामा0करण संख्या 2198 दिनांक 17.05.2016 से संपुर्ण भूमि अकेले हनुमान पुत्र शंकर कौम राव के नाम दर्ज की गई। उक्त भूमि किस्म बारानी सोयम का कृषि प्रयोजन ही मौके पर उपयोग में ली जा रही हैं। पडौस स्थित भूमि खसरा नंबर 1741 में आबादी की हुई हैं। वर्ष 2015 में ग्वार की फसल बोई गई थी तथा वर्ष 2016 में मूंग की फसल बोई गई। उक्त भूमि में मौके पर कोई प्लॉट नहीं काटे गये हैं एवं न ही किसी प्रकार का निर्माण कार्य किया हुआ हैं। जिससे तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य हैं। प्रकरण में प्रथम दृष्ट्या मामला ही प्रार्थी के पक्ष में बनना प्रमाणित नहीं हैं। जिससे प्रकरण में जारी एक पक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाडा के आदेश को अपास्त कर प्रकरण को खारिज किये जाने की दलील दी। उपस्थित पेरोकार सरकार द्वारा वकील अप्रार्थी की दलीलो का खण्डन नहीं किया गया। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व उभय पक्ष वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् प्रश्नगत् प्रकरण में यह जाहिर हैं कि प्रार्थी तहसीलदार, बाली द्वारा अपने उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से ग्राम बीजापुर स्थित भूमि खसरा नंबर 1740 रकबा 0.40 हैक्टर का अकृषि प्रयोजन उपयोग में लिये जाने के तथ्य जाहिर करते हुये धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत कार्यवाही का निवेदन किया गया। तथा साथ में उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश कर अप्रार्थी पक्ष के विरूद्व एक पक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर ली गई। परन्तु अप्रार्थी पक्ष द्वारा अपने जबाव के समर्थन में जो अभिलेखीय साक्ष्य खसरा गिरदावरी की प्रतियॉं प्रस्तुत की गई हैं उनके अवलोकन से यह स्पष्ट तौर पर प्रमाणित हैं कि वर्ष 2015 में ग्वार की फसल बोई गई थी तथा वर्ष 2016 में मूंग की फसल बोई गई थी। तथा साथ ही मौके के जो फोटो चित्र पेश किये गये है, उनके अवलोकन से भी यह स्पष्ट तौर पर प्रमाणित हैं कि मौके पर किसी प्रकार के प्लौट नहीं काटे गये हैं। इस प्रकार प्रकरण में वर्णित भूमि बीजापुर के खसरा नंबर 1740 रकबा 0.40 हैक्टर किस्म बारानी सोयम का कृषि भिन्न उपयोग में लिया जाना प्रार्थी पेरोकार सरकार साबित नहीं कर पाये हैं। जिससे प्रार्थना पत्र प्रार्थी धारा 177 राज.काश्त.अधिनियम, 1955 खारिज किया जा चुका हैं। मूल वाद के अभाव में उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता हैं। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर मूल प्रकरण संख्या 331/2015 के संलग्न हो। उपखण्ड अधिकारी बाली	

Scanned by CamScanner